संख्या-21/2018-770/58-2018-57/2018

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2018**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन की योजना में राजस्व मद की धनराशि रू0-1050.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-309-10/बजट/2017-18, दिनांक 21.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्र सं0-18-4/2017-एम0आई0डी0एच0, दिनांक 22.02.2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0-1187.00 लाख के सापेक्ष राजस्व मद की धनराशि केन्द्रांश रू0-769.38 लाख एवं राज्यांश रू0-512.92 लाख कुल धनराशि रू0-1050.00 लाख (रूपये-दस करोड़ पचास लाख) मात्र को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि लाख रूपये में)

कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त	अवमुक्त हेतु अवशेष	निदेशालय के पत्र सं0-280-81 के सापेक्ष अवमुक्त हेतु प्रस्तावित	अवमुक्त हेतु शुद्व अवशेष	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
02-मजदूरी	40.00	40.00	-	-	-	-
04-यात्रा व्यय	20.00	7.00	13.00	1.10	11.90	
08-कार्यालय व्यय	30.00	19.50	10.50	1.48	9.02	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30.00	24.50	5.50	-	**5.50**	**-**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15.00	1.20	13.80	13.80	-	-
13-टेलीफोन पर व्यय	6.00	1.52	4.48	0.50	3.98	-

http://shasanadesh.up.nic.in

15-गाडियों का अनुरक्षण	120.00	85.00	35.00	1.38	33.62	-
16-व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान	70.00	53.50	16.50	4.56	11.94	
18-प्रकाशन	15.00	15.00	-	-	-	**-**
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	20.00	16.50	3.50	-	**3.50**	**-**
27-सब्सिडी	5050.00	3595.38	1454.62	404.62	1050.00	1050.00
29-अनुरक्षण	20.00	2.00	18.00	1.00	17.00	-
42-अन्य व्यय	249.21	99.37	149.84	24.00	125.84	-
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	30.00	30.00	-	-	-	-
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा	220.00	220.00	-	-	-	-
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का व्यय	5.00	5.00	-	-	-	-
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	30.00	20.00	10.00	-	10.00	-
योग-	**5970.21**	**4235.47**	**1734.74**	**452.44**	**1282.30**	**1050.00**

(रूपये-दस करोड़ पचास लाख मात्र)

1- केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमश: 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश/राज्यांश का समायोजन किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

9- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे

http://shasanadesh.up.nic.in

कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

10- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

13- यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

14- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

15- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

16- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-21/2018-770(1)/58-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) संयुक्त सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://chasanadesh.up.nic.in